[Shri Ratan Singh Rajda]

There has been a long standing demand of people of the area that East Campus of Dehi University should be set up and that more colleges should be opened by Delhi University in trans-Yamuna area.

Now that new academic year is to commence, Ministry of Education should take action in the matter and open two more colleges, one for boys and one for girls, in the ensuing year on priority basis.

(vi) DROUGHT IN VARIOUS PARTS COUNTRY AND RELIEF WORK IN THOSE AREAS.

MR. CHAIRMAN: You are not expected to go beyond the statement which you have given to the Speaker.

श्री मुनीराम बागड़ी (हिसार): सभापति जी; देश में सूखे के कारण व सरकारी इमदादा व किसान को खेती के लिए जरूरी चीज में लापरवाही के कारण बिजली व पानी का न मिलना देश में घोर अकाल आया। आज देश में 50 प्रतिशत लोग मौत और जिन्दगी के बीच लटक रहे हैं। कुछ मामूली गेहू सरसों की फसल जो थी, नहर के पानी न मिलने के कारण और ट्यूबवेल को बिजली न मिलने के कारण हरियाणा, पजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का इलाका भी जहां पैदावार ज्यादा होती थी बहुत कम पैदा होने की संभावना है। कल और परसों की दो दिन की तेज हवा ने किसानों की खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है और बिजली की चमक से चने की फसल बिल्कुल खत्म हो गयी है। इस आपत्ति से भयंकर फसलों को क्षति पहुंची और महा-अकाल की हालत हो गयी है। अब भी सरकार अगर फसलों की बचाना चाहती है तो बिजली ट्यूबवेलों को 24 घटे दे और नहरें चलें जो फसलें बिजली और हवा से खराब हुई हैं उनकी जांच करायी जाय और किसानों को मुआवजा दिया जाय। देश के सूखाग्रस्त इलाकों में इमदादी काम शुरू किये जायें और किसानों की वसूली हर किस्म की बद की जायें।

यह चित्र यहां रख जाऊ क्या ?

सभापति महोदय : नही, नहीं हमने तो देख लिया।

Shri Gangwar. He was not here when his name was called. Hon. Members should make it a point to be present when their names are caled.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): मैं कानपुर से आ रहा हूं।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना): कभी-कभी गाड़ी लेट हो जाती है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : रेल मंत्री जिम्मेदार हैं।

(vii) *Need to amend the Civil Procedure Code, 1976 for making provision for publishing summons in newspapers at the request of parties or at court's discretion.*

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, सन् 1976 में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने व्यवहार प्रक्रिया में संशोधन करते हुए उसकी व्यवस्था (आर्डर) 5 में एक नये नियम 20 (1-क) के रूप में समावेश कर साप्ताहिक समाचार-पत्रों को अदालती सम्मनों के प्रकाशन से वंचित कर दिया कि अदालती सम्मन केवल दैनिक समाचार-पत्रों में ही प्रकाशित किये जायेंगे।

उक्त संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि अदालती सम्मनों को संबंधित पक्षकार दैनिक या साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशन के लिए अनुरोध करता था और न्यायालय

निर्णय करता था कि बाद विषय को देखते हुए सम्मन का प्रकाश दैनिक या साप्ताहिक पत्र किस में उचित है, उसी के अनुसार सम्मन प्रकाशित होते थे। यह व्यवस्था व्यावहारिक एवं न्याय संगत थी और किसी के कोई आपत्ति होने का कारण नहीं था।

उक्त 1976 के संशोधन से निम्न आय वाले वादकारों विशेष रूप से लघु कृषकों व साप्ताहिक समाचार-पत्रों की विशेष हानि हुई है। साप्ताहिक समाचार-पत्रों की आय का छोटा या यह स्त्रोत भी सूख गया है तथा गरीब काश्तकारों व वादकारों को जिनको अपनी भूमि अथवा अन्य संबंधित राजस्व बाद करने होते हैं, उन्हें अधिक धन व्यय कर के साप्ताहिक समाचार-पत्रों के स्थान पर दैनिक समाचार पत्रों में सम्मन छपवाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। संशोधन से पूर्व साप्ताहिक समाचार-पत्रों में जो सम्मन 30 से 60 रुपए तक में छप जाते थे उन्हीं के लिए दैनिकों में अब 150 से 250 रूपए अथवा इससे भी अधिक देने होते हैं। इस भारी व्यय के कारण अधिकतर लोग कलक्टरी दावे करने में घबराने लगे हैं। न्याय हित में छोटे कृषकों व निम्न आय के बादकारों व साप्ताहिक समाचार-पत्रों की रक्षा करना आवश्यक है।

अतः मैं जन हित में विधि मंत्री से अनुरोध करता हू कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उक्त नियम में निम्न प्रकार संशोधन करने की कार्यवाही करें:—

संबंधित पक्षकार की प्रार्थना पर न्यायालय के निर्णयानुसार साप्ताहिक अथवा दैनिक समाचार-पत्रों में, जैसी परिस्थिति हो, प्रकाशित किये जायें।"

13.34 hrs.

RESOLUTION *RE* RECOMMENDATIONS OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE, DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1983-84, SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1982-83, AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1980-81—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: We will now take up further discussion on the Resolution moved by Shri A.B.A. Ghani Khan Chaudhuri. Shri Zainul Basher, who was on his legs, will continue his speech.

SHRI ZAINUL BASHER (Ghazipur): Mr. Chairman, Sir, yesterday I was talking about the late-running of trains in the North Eastern Railways. Many important Express and Mail trains in the North Eastern Railways are running late, not by one or two hours but by 8 to 10 hours regularly.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Even more.

SHRI ZAINUL BASHER: Yes, even more. Since the hon. Minister is paying utmost attention to the punctuality of trains, I would request him to pay special attention to this aspect in the North Eastern Railways also.

I would like to emphasize with all the power at my command the conversion of the Chhapra-Varanasi metre-gauge line into broad-gauge. That was promised in a largely attended public meeting and to the press by the then Railway Minister, Shri Kamalapati Tripathi. The survey has already been completed. I have been assured that it will be sent to the Planning Commission for clearance. I hope the railway authorities or the Ministry would have Sent that proposal to the Planning Commission